

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला -

जिनसे धारि

बनाम

बनो श्रीराम

किस्म मुकदमा

मथराम

मु.नं. 525/14 वर्ष.

दिनांक

08/06/22

आज्ञ - पत्र

बकीर पत्रावली परा हुई। बकीर  
 धारि बना धारि स्वयं अनु। बकीर  
 धारि बना धारि स्वयं को बाद-बाद  
 आनाम लगवाई गई, उक्त के  
 बाबूद मायालय स्वयं से सामंजस  
 तर्क भी उक्त में तर्क भी  
 उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली  
 इती स्वयं पर अदम पैरवी। अदम  
 धारि में आदिम किस्म जान के  
 आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली  
 केवल शुभाड लोकड बाद तर्कमील  
 दाखिल दफ्तरी हो।



उपखण्ड अधिकारी  
 धोद जिला-सीकर